अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 22 / 2015

पारस नाथ राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सदर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सारण के ज्ञापांक 548 दिनांक 10.04.2015 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि परसा प्रखण्ड अंतर्गत लतरहीयॉ, पंचायत–बलिगॉव की ग्रामीण जनता के द्वारा पारसनाथ राय, ज0वि0प्र0वि0 के विरूद्ध दिए गए शिकायत पत्र की जॉच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी परसा के द्वारा की गई। जॉचो उपरान्त जॉच पदाधिकारी के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया – 1. विक्रेता के द्वारा केवल किरासन तेल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। 2. कुछ ग्रामीणों के द्वारा उन्हे राजनीतिक कारणों से राशन से वंचित रखने का आरोप लगाया गया। 3. जॉच के समय दुकान से संबंधित पंजी की मांग करने पर विक्रेता के पुत्र के द्वारा बताया गया कि उन्के पिता डाक्टर से दिखाने हाजीपुर दिखाने गए है और सभी पंजी कमरे में बन्द है। 4. जॉच के समय जन वितरण प्रणाली की उक्त दुकान पर भण्डार एवं मुल्य तालिका बोर्ड, माप–तौल हेतु तुला बाट तथा अन्य उपकारण आदि अनुपलध्ध था। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के ज्ञापांक 74 दिनांक 14.01.2015 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जबाब को असंतोष जनक पाकर बिक्रेता की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।	

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वितरित राशन कार्ड पर केवल खाद्यान्न तथा पूर्व में चयनित बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लाल राशन कार्ड पर केवल किरासन तेल आपूर्ति करने का प्रावधान है। बिक्रेता के विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। बिक्रेता इलाज हेतु बाहर गये हुए थे। इस वजह से जॉच पदाधिकारी को दुकान से संबंधित पंजी एवं माप तौल संबंधी उपकरण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। साथ ही, विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल विक्रेता के द्वारा आचरण किया जाता है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 548 दिनांक 10.04.15) में कई कमियॉ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति ही विक्रेता को उपलब्ध करायी गई है, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि गवई राजनीति की वजह से विक्रेता को परेशान करने की नीयत से विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाए गए है। अनुज्ञापन के पदाधिकारी के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश नहीं है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 0605.2015 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

21/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

21/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 25 / दिनांक 15/01/16

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/01/16

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16